

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आदेश

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या –7474 / 2016

आदेश दिनांक :

16.12.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री संदीप मेहता

याची की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष पटेल,
अयाची सं.1 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत श्रीमाली, उपस्थित।

याची के अधिवक्ता द्वारा अदम तामीलसुदा अयाची की तामील
हेतु उचित चाराजोही किए जाने पर उसे चार सप्ताह में वापसी योग्य
नोटिस नये सिरे से जारी किया जाए।

(संदीप मेहता)
न्यायाधिपति

एस एन लोहरा
क्र.सं.12